झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग — 3269 / 19/05/17

संकल्प

विषयः देवघर एवं चास शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए विधिवत् चयनित परामर्शी M/s. Shristi Urban Infrastructure Development Ltd. (SUIDL) को उक्त दोनों शहरों के लिए अमृत योजना के अन्तर्गत GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने हेतु मनोनयन के आधार पर कार्यावंटन एवं अतिरिक्त परामर्शी शुल्क के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना "अमृत" (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन वित्तीय वर्ष 2015–16 से आगामी 05 वर्षो के लिए प्रारंभ की गई है। झारखंड राज्य के कुल सात (7) शहरों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है जिसमें देवघर एवं चास शामिल है।

2. इस योजना के तहत् भौतिक अवसंरचना घटकों के अतिरिक्त क्षमता संवर्द्धन सम्मिलित है। राज्य सरकार को इस अमृत योजना से धन राशि प्राप्त करने के क्रम में संबंधित शहरों के लिए कुछेक सुधार कार्यक्रम तय समय सीमा के अन्तर्गत लागू करना है जिसमें GIS का उपयोग कर मास्टर प्लान तैयार करना शामिल है। GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शत्प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में राशि दिये जाने का प्रावधान है। देवघर एवं चास जैसे क्लास–1 शहर के लिए केन्द्रांश के रूप में रू० 75.00 लाख प्रति शहर अनुमान्य है। रू० 02.00 लाख प्रति शहर क्षमता संवर्द्धन के रूप में अनुमान्य है।

3. कार्यालय आदेश संख्या–402, दिनांक–07.02.2006 के द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरूत्थान मिशन के अन्तर्गत राज्य के 03 चयनित शहर राँची, जमशेदपुर तथा धनबाद शहर के CDP तैयार करने हेतु परामर्शी के चयन के लिए प्रशासक, राँची नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, प्रशासक, धनबाद नगर निगम, उप विकास आयुक्त, जमशेदपुर, विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स०, मुख्य अभियंता, विभागाध्यक्ष (वास्तुकला), बी०आई०टी० मेसरा, राँची सदस्य के रूप में नामित थे। कार्यालय आदेश संख्या–22/677, दिनांक–06.03.2006 द्वारा सूचीबद्ध परामर्शियों के माध्यम से राज्य के अन्य शहरों के मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया था। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्शी का चयन उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा की जाएगी।

4. तत्समय उपरोक्त समिति द्वारा परामर्शी M/s. Shristi Urban Infrastructure Development Ltd. (SUIDL), New Delhi का चयन देवघर एवं चास शहर के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए किया गया था जिसके लिए परामर्शी शुल्क क्रमशः ₹ 79.00 लाख एवं ₹ 114.20 लाख रूपये सभी शुल्क सहित अनुमान्य थी।

उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान के कार्य आवंटन के समय दोनों शहर में नगर परिषद् के रूप में नगरीय प्रशासन कार्यरत था। वर्त्तमान में दोनों शहरों में नगरीय प्रशासन नगर निगम के रूप में कार्यरत है जिसके क्षेत्राधिकार पूर्व नगर परिषद् के क्षेत्राधिकार से अधिक हो गया है। देवघर नगर परिषद् में 44 अतिरिक्त राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर नगर निगम अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार चास नगर परिषद् में 05 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर नगर निगम के रूप में उत्क्रमित किया गया है।

5. GIS Based मास्टर प्लान आगामी 25 वर्षो के लिए अनुमानित जनसंख्या के लिए विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल भूमि का आकलन कर तैयार किया जाना है जिसके लिए दोनों निगम के आस–पास के क्षेत्र जिसमें विकास की संभावना के सकारात्मक विभिन्न कारक मौजूद हो, को सम्मिलित करते हुए तैयार कराया जाना है। इस प्रकार नगर निगम के वर्त्तमान क्षेत्रफल के दुगुने क्षेत्र को सम्मिलित कर मास्टर प्लान के लिए "प्लानिंग एरिया" निर्धारित किया जाना निश्चित किया गया है, जो स्थल पर मौजूद विभिन्न कारणों से थोड़ा बढ़–घट

सकता है, जिस पर अंतिम निर्णय स्थानीय प्रशासन एवं अन्य Stakeholders (जन प्रतिनिधि सहित) की आम सहमति से ली जा सकती है।

6. परामर्शी SUIDL द्वारा देवघर एवं चास नगर निगम के (निगम क्षेत्र तथा आवश्यकता आधारित आस–पास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर निर्धारित किए जाने वाले *प्लानिंग क्षेत्र* के लिए) GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नए सिरे से 1.5 करोड़ रूपये की मांग की गई।

निकाय द्वारा उक्त के आलोक में मार्गदर्शन की अपेक्षा किए जाने के क्रम में विभाग स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर परामर्शी के प्रस्ताव एवं समग्र बिन्दुओं की समीक्षा की गई जिसमें दोनों निकायों के नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य तकनीकी पदाधिकारियों भी उपस्थित थे। Ease of Doing Business के अन्तर्गत भी GIS Based मास्टर प्लान शीघ्रताशीघ्र तैयार किया जाना अपेक्षित है, यह बात भी समीक्षा के दौरान उभर कर आई।

चूँकि परामर्शी को पूर्व में मास्टर प्लान तैयार करने के एवज में परामर्शी शुल्क का भुगतान किया गया है तथा इनके पास Basic Data का संकलन है अतएव कम से कम समय में पूरी गुणवत्ता के साथ GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस मद में केन्द्रांश के रूप में निर्धारित देय परामर्शी शुल्क राशि रू० 75.00 लाख (प्रति शहर) के भुगतान के आधार पर परामर्शी M/s. SUIDL से कार्य कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3269
19/05/17

परामर्शी द्वारा इस आशय का सहमति पत्र विभाग को निदेशक, सुडा के माध्यम से समर्पित किया गया है जिसमें परामर्शी शुल्क प्रति शहर रू० 75.00 लाख (सभी प्रकार के सेवा कर के साथ) की मांग की गई है। इस प्रकार परामर्शी को परामर्शी शुल्क के रूप में GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने के एवज में कुल देय राशि–रू० 75.00+11.25 (सेवा कर @15%) = 86.25 लाख (छियासी लाख पच्चीस हजार) प्रति शहर देय होगा। परामर्शी दोनों शहरों के लिए GIS Based मास्टर प्लान, अमृत योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुपालन के साथ 09 महीने में तैयार करेंगे।

7. उपरोक्त के आलोक में परामर्शी M/s. Shristi Urban Infrastructure Development Ltd. (SUIDL), New Delhi को देवघर एवं चास नगर निगम के आस–पास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर निर्धारित प्लानिंग एरिया के लिए अमृत योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुसार GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने हेतु परामर्शी शुल्क के रूप में झारखंड वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम–245 के तहत्, कार्यहित में, मनोनयन के आधार पर कार्यावंटन एवं परामर्शी शुल्क की अतिरिक्त राशि– ₹ 86.25 लाख (छियासी लाख पच्चीस हजार) (सेवा कर सहित) प्रति निकाय के भुगतान पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. उक्त पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–16.05.17 में मद संख्या–4 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जनसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय।

19/5/17

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/न0वि0 (TCPO)/मा0प्लान–12/2016...3269 **राँची, दिनांक–**...19/05/17

प्रतिलिपि–प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–06/न0वि0 (TCPO)/मा0प्लान–12/2016......3269 **राँची, दिनांक**–19/05/17

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/ उपायुक्त, देवघर एवं चास/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर एवं चास नगर निगम/सभी विभागीय पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची/श्री धन्नजय कुमार सरकार, DGM, M/s. Shristi Urban Infrastructure Development Ltd. (SUIDL), D-2, 5th Floor, Southern Park, Saket Place, New Delhi-110017, Fax-+91-11-6602 5883/5818, +91-33-40202099 Email-dhananjay.sarkar@shristicorp.com/ श्री कुणाल, विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/17

सरकार के सचिव